Cooperative Press, Jaipur/2014

प्ररूप 6

नियम 13 (1) और 26 देखिए

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

.... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र/संसदीय£ निर्वाचन–क्षेत्र।

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि उक्त निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैः–

1. आवेदक का ब्यौरा	नाम		उपनाम (यदि कोई हो)
1 जनवरी ....#को आयु	वर्ष :	मास :	लिंग (पुरुष/स्त्री/तृतीय लिंग):
जन्म–तिथि, यदि ज्ञात है	दिन :	मास :	वर्ष :
जन्म का स्थान	ग्राम/नगर		
***माता/पिता/पति का नाम**	जिला :		राज्य :
	नाम :		उपनाम (यदि कोई हो)

2. मामूली तौर पर निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :							
मकान/गृह सं. :							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :							
नगर/ग्राम :							
कस्बा/गांव :							
डाकघर	पिन कोड :						
तहसील/ताल्लुका/मंडल/थाना :							
जिला :							
मोबाइल :	ई–मेल :						

3. निर्वाचन–क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के कुटुंब के सदस्य(यों) के ब्यौरे :

नाम	आवेदक के साथ नातेदारी	निर्वाचन–क्षेत्र की नामावली का भाग सं.	उस भाग में क्रम सं.	निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या
1.				
2.				

£ ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा नहीं है और जम्मू–कश्मीर राज्य के मामले में।

कृपया वर्ष लिखें अर्थात् 2014, 2015 आदि।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

4. घोषणा :

मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :

(i) मैं भारत का नागरिक हूं,

(ii) मैं .... से (तारीख, मास, वर्ष) ऊपर भाग–2 में दिए गए पते वाले स्थान में मामूली तौर से निवासी हूं;

(iii) मैंने किसी अन्य निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है;

(iv) *इस या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

*मेरा नाम .... राज्य के .... निर्वाचन–क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)

पूरा पता (मामूली रूप से निवास का पूर्व स्थान)	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं. (यदि जारी किया गया है) ....; जारी करने की तारीख ....

.

स्थान : ....

तारीख : ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण : कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का निर्वाचक नामावली में नाम को शामिल करने के लिए प्ररूप 6 में आवेदन* को स्वीकार कर लिया गया है/*नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने [नियम 18/*20/*26/(4)]£ के अधीन या उसके अनुसरण में] या *नामंजूर करने [नियम 17/*20/*26/(4)£ के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण –

स्थान : **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के हस्ताक्षर** **(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर की मुहर)**

तारीख :

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

£ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन बनाए रखने के दौरान।

क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की टिप्पणिया (अर्थात् बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षक अधिकारी)

की गई कार्रवाई की संसूचना

पृ ष्ठ के अनुभाग 2 को निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और आवेदक द्वारा अनुभाग 1 में दिये गए पते पर आवेदक को डाक द्वारा भेजा जाना है।

–––––––––––––––––––––––––––– पहला मोड ––––––––––––––––––––––––––––––––––

अनुभाग 1

**श्री /श्रीमती /कुमारी.. का प्ररूप 6 में आवेदन

**(पूरा पता)

गृह /मकान संख्या :.................................गली /क्षेत्र /परिक्षेत्र /मोहल्ला /सड़क :...

कस्बा/गांव :...डाकघर :...पिन कोड :..................................

तहसील/ताल्लुका/मंडल/थाना :...जिला :..

**आवेदक द्वारा भरा जाएगा

नि. रजि. प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए जाने हैं

–––––––––––––––––––– दूसरा मोड ––––––––––––––––

अनुभाग 2

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री /श्रीमती /कुमारी.. के नाम को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. .... के भाग सं. .... के क्रम संख्या .... पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

(ख) .... कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता ....

....

आवेदन प्ररूप–6 भरने के लिए दिशा–निर्देश

सामान्य अनुदेश

प्ररूप–6 कौन दाखिल कर सकता है

(क) कोई भारतीय नागरिक जिसने उस वर्ष, जिसके संबंध में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है, की जनवरी की पहली तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। उदाहरण के लिए, अर्हता की तारीख के रूप में 01.01.2015 के संबंध में संचालित पुनरीक्षण के लिए 01.01.2015 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला कोई व्यक्ति (अर्थात् 01.01.1996 को या उससे पूर्व पैदा हुआ कोई व्यक्ति) निर्वाचक के रूप में नामांकित होने का हकदार है और इस प्रकार प्ररूप–6 दाखिल कर सकता है।

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से रजिस्ट्रीकृत वह निर्वाचक जिसका मामूली तौर पर निवास स्थान अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है।

प्ररूप–6 कब दाखिल किया जा सकता है

आवेदन पूरे वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान, आवेदन निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् दाखिल किया जा सकता है। आवेदन दावों और आक्षेपों को दाखिल करने के लिए उपबंधित विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर दाखिल किया जाना है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में सम्यक् प्रचार किया जाता है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान केवल एक प्रति दाखिल की जानी है। गैर–पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना है।

प्ररूप–6 कहां दाखिल किया जाए

(क) पुनरीक्षण अवधि के दौरान,आवेदन उन अभिहित स्थानों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थलों पर) जहां निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ–साथ निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों पर दाखिल किया जा सकता है। आवेदन संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी दाखिल किया जा सकता है।

(ख) जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास या ऑनलाईन दाखिल किया जा सकता है।

प्ररूप–6 कैसे भरें

1. आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आप रजिस्ट्री करवाना चाहते है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम का इस प्रयोजन के लिए दिये गये खाली स्थान से उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. **नाम :** नाम, जैसा कि निर्वाचक नामावली और निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र (नि.फो.प.प.) में होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। पूरा नाम पहले बॉक्स में लिखा जाना चाहिए और उपनाम दूसरे बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। आपका उपनाम नहीं होने की दशा में केवल दिया गया नाम ही लिखें। सम्मान सूचक पदवियों जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित आदि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो कृपया अपना नाम अंग्रेजी और राजभाषा दोनों में उल्लिखित करें।
3. **आयु और जन्मतिथि**

क. आवेदक की आयु उस वर्ष, जिसके संबंध में निर्देश में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षित की जा रही है, की जनवरी की पहली तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जन्मतिथि को दिनांक/माह/वर्ष में उपबंधित स्थान में अंकों में भरें। यदि आवेदक की आयु 18 और 21 वर्ष के बीच की है तो जन्मतिथि का दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाना चाहिए। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रतिलिपि संलग्न की जा सकेगीः–

- (i) नगरपालिका प्राधिकारियों या जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु के जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र या बपतिस्मा प्रमाण–पत्र; या
- (ii) विद्यालय सरकारी/मान्यताप्राप्त जिसमें आवेदक ने अन्तिम रूप से शिक्षा पायी हो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था से जन्म प्रमाण–पत्र; या
- (iii) यदि कोई व्यक्ति दसवीं या उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में दसवीं कक्षा की अंकतालिका की एक प्रतिलिपि देनी चाहिए यदि उसमें जन्म की तारीख उपदर्शित हो; या
- (iv) कक्षा आठ की अंकतालिका, यदि उसमें जन्मतिथि अंतर्विष्ट हो; या
- (v) कक्षा पांच की अंकतालिका, यदि उसमें जन्मतिथि अंतर्विष्ट हो; या
- (vi) भारतीय पासपोर्ट; या
- (vii) पैन कार्ड; या
- (viii) चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस); या
- (ix) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी आधार पत्र।

ख. यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आवेदक के माता–पिता में से किसी एक द्वारा (या पारलैंगिक प्रवर्ग में के निर्वाचक की दशा में गुरू द्वारा) उपाबंध–I (दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न) में दिए गए विहित रूपविधान में घोषणा की जा सकेगी। उन मामलों में जहां आयु प्रमाण के रूप में माता–पिता की घोषणा दी गयी है वहां आवेदक को सत्यापन के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। यह और कि, यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध न हो और माता–पिता में से कोई भी जीवित न हो

— —

आवेदन की रसीद

**श्री /श्रीमती /कुमारी..

पता** ....

का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से

आवेदन प्राप्त करने वाला आफिसर के

हस्ताक्षर

(पता) ....

....

**आवेदक द्वारा भरा जाएगा

तो, आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत के किसी सरपंच द्वारा या संबंधित नगर निगम/नगरीय समिति के किसी सदस्य द्वारा दिया गया उसकी आयु का कोई प्रमाण–पत्र संलग्न कर सकेगा।

ग. उन मामलों में जहां आवेदक 21 वर्ष से अधिक आयु का है और बूथ स्तरीय अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शारीरिक रूप से ऐसा प्रतीत हो वहां उसके द्वारा आयु का घोषणा–पत्र उसकी आयु के प्रमाण के रूप में लिया जायेगा और किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर जोर नहीं दिया जायेगा। आयु को अर्हक तारीख अर्थात् उस वर्ष की एक जनवरी को जिसके संबंध में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षित की गयी है, वर्षों में और पूर्ण महीनों में उपदर्शित किया जायेगा।

4. **लिंग :** उपलबंध स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, जैसे कि 'पुरुष/महिला'। यदि आवेदक, 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में वर्णित नहीं होना चाहते तो वे अपने लिंग को 'तृतीय लिंग' के रूप में उपदर्शित कर सकते हैं।

5. **जन्म स्थान :** कृपया स्थान जैसे ग्राम/नगर, जिला, राज्य के नाम का उल्लेख करें।

6. परिवार के अन्य सदस्य का नाम : अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम का उल्लेख किया जाए। इस स्तंभ से अनुपयुक्त विकल्पों को काट दें।

7. **मामूली तौर से निवास का स्थान**

(क) उपलब्ध में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक पता उल्लिखित करें, जहां आप मामूली तौर से निवास करते है तथा पंजीकरण कराना चाहते हैं। मामूली तौर से निवास स्थान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न करें:–

(i) बैंक/किसान/डाकघर की चालू पासबुक; या
(ii) राशन कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस); या
(v) आयकर निर्धारण आदेश; या
(vi) अंतिम किरायानामा; या
(vii) आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता–पिता आदि के नाम से उस पते का अंतिम जल/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल; या
(viii) आवेदक के नाम से मामूली तौर से निवास स्थान पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से परिदत्त की गयी कोई डाक/पत्र/मेल।

(ख) बेघर व्यक्तियों के मामले में, जिनके पास उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, बूथ स्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर विश्राम करता है जो प्ररूप–6 में उसके पते के रूप में दिया गया है, प्ररूप–6 में अंकित पते पर रात्रि को जायेगा। यदि बूथ स्तरीय अधिकारी यह सत्यापित करने में समर्थ हो जाये कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर विश्राम करता है तो निवास स्थान का कोई दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक नहीं होगा। बूथ स्तरीय अधिकारी ऐसे सत्यापन हेतु निरीक्षण के लिए एक से अधिक रात्रियों को जायेगा।

(ग) शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रबंधित छात्रावास या मेस में अध्ययन स्थल, या अन्यत्र निवास करने वाले छात्र के मामले में उसको अपने माता–पिता के साथ अपने मूल स्थान पर या उस छात्रावास/मेस के पते पर, जहां वह तत्समय अध्ययन करने के लिए निवास कर रहा है, स्वयं को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाने का विकल्प होगा। उक्त छात्रों द्वारा अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम केन्द्रीय/राज्य सरकारों/बोर्डों/विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यताप्राप्त होना चाहिए और ऐसे पाठ्यक्रम एक वर्ष से कम की अवधि के नहीं होने चाहिए। ऐसा छात्र जो स्वयं को छात्रावास/मेस में नामांकित करवाना चाहता/चाहती है उसे प्ररूप 6 के साथ शिक्षा संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/निदेशक/रजिस्ट्रार/संकायाध्यक्ष से वास्तविक प्रमाण–पत्र (उपाबंध–II के नमूने के अनुसार) संलग्न करना होगा।

8. **निर्वाचन नामावली में पहले से सम्मिलित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा :** कृपया निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित एक ही पते पर निवास करने वाले निकटतम कुटुम्ब सदस्यों संबंधियों जैसे पिता/माता/भाई/बहन पति–पत्नी के नाम व अन्य विशिष्टियां भरें। उपरोक्त से भिन्न किसी अन्य संबंधी के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

9. **घोषणा**

(क) कृपया वह तारीख इंगित करें जब से आप दिये गये पते पर निवास कर रहे हैं। यदि निश्चित तारीख का स्मरण न हो तो उस माह और वर्ष का उल्लेख करें जब से आप उस स्थान पर निवास कर रहे हैं।

(ख) यदि आपका नाम पहले ही किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा चुका है, तो कृपया पिन कोड के साथ अपने पूर्व का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखे।

(ग) यदि आपको पहले से ही नि.फो.प.प. (निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र) जारी किया गया है तो कृपया पत्र संख्यांक का (सामने की ओर मुद्रित) और पत्र जारी किये जाने की तारीख का (पीछे की ओर मुद्रित) प्रदत्त स्थान में उल्लेख करें। आप अपने नि.फो.प.प. संख्यांक का राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर पता लगा सकते हैं।

10. **विविध**

(क) कृपया आवेदन में समस्त अपेक्षित ब्यौरे भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ख) कृपया अभिस्वीकृति और सूचना भागों पर अपना पूरा नाम और पता भी दें।

(ग) कृपया प्ररूप में अपना मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई.डी. दें। जैसा कि यदि ये दिये जाते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इनका उपयोग आपको संसूचित करने के लिए, जब कभी भी अपेक्षित हो, किया जा सकेगा।

आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1. मतदाता सूची में पंजीयन एवं अन्य जानकारी प्राप्ति हेतु आपके मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

+ मतदान केन्द्र का नाम एवं नम्बर ....

बूथ लेवल अधिकारी का नाम /पता ....

बूथ लेवल अधिकारी का मोबाइल नम्बर ....

(+ नोट :– उपरोक्त तीनों प्रविष्टियां बूथ वेवल अधिकारी द्वारा भरी जानी है।)

2. मतदाता सूची में अपना नाम देखने एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी हेतु भारत निर्वाचन आयोग की वैबसाईट **www.eci.nic.in** एवं **www.ceorajasthan.nic.in** निर्वाचन विभाग की वैबसाईट देख सकते हैं।

3. मतदाता फोटो पहचान पत्र /मतदाता सूची एवं निर्वाचन विभाग से संबंधित अन्य जानकारी /शिकायतों के निवारण हेतु विभाग के काल सेन्टर के दूरभाष नम्बर 1950 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उपाबंध–I

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(18–21 वर्ष आयु वर्ग में के प्रथम बार आवेदक, जिनके पास आयु का कोई प्रमाण नहीं है, के माता–पिता में से किसी एक द्वारा/गुरू द्वारा ली जाने वाली शपथ/किया जाने वाला प्रतिज्ञान)

मैं, ... जिसका नाम .... निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाग सं. .... में क्र. सं. .... पर दर्ज है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री/चेला .... 1 जनवरी, 20 .... को .... वर्ष की आयु का/की है और मेरे साथ रह रहा/रही है।

स्थान :

दिनांक :

माता/पिता/गुरू के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती .... द्वारा मेरे समक्ष .... (स्थान) पर 20 .... के .... के .... दिवस को .... बजे ईश्वर की शपथ ली गयी/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी/बूथ स्तरीय अधिकारी के
हस्ताक्षर मुहर सहित

उपाबंध–II

छात्रावासों में/मेस में/अन्यत्र रहने वाले छात्रों द्वारा घोषणा

(प्ररूप 6 के साथ संलग्न की जानी है)

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

I. मैं...(नाम स्पष्ट अक्षरों में),
पुत्र/पुत्री..निवास...
....

(मूल निवास स्थान का पूरा डाक पता)। इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) मैं..(संस्था का नाम) का/की वास्तविक विद्यार्थी हूं और.................................
(मास)...................................(वर्ष) से...(मास)..
(वर्ष) तक..(पाठ्यक्रम का ब्यौरा) में अध्ययनरत हूँः

*(ख) मैं वर्तमान में–

(i) ....(यदि छात्रावास/मेस में निवास कर रहा/रही है तो उस छात्रावास/मेस के कमरा नम्बर/ब्लॉक नम्बर/ब्लॉक के नाम का उल्लेख करें)।

या

*(ii) ....(यदि छात्रावास/मेस के बाहर अन्यत्र निवास कर रहा/रही है तो उस छात्रावास/मेस के बाहर अन्यत्र निवास कर रहा/रही है तो उस छात्रावास/मेस के बाहर रहने के स्थान के पूर्ण डाक पते का उल्लेख करें)।

*(ग) मैं निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होना चाहता/चाहती हूँ/अपने माता–पिता/संरक्षक के साथ मेरे ऊपर उल्लिखित निवासीय पते पर अपने मूल निवास स्थान की निर्वाचक नामावली में अपना रजिस्ट्रीकरण बनाए रखना चाहता/चाहती हूँ।

या

* मैं उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होना चाहता/चाहती हूँ जहाँ मैं वर्तमान में निवास कर रहा/रही हूँ।

II. मुझे जानकारी है कि निर्वाचन विधि के अधीन एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्त नहीं है और मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दांडिक उपबंधों की भी जानकारी है, जो निम्न हैः–

''यदि कोई व्यक्ति (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा (ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किये जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह **ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।''**

स्थान :
दिनांक :

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर (क) पर की घोषणा में दी गयी सूचना और फोटो संस्था के अभिलेखों से सत्यापित की गयी है और उन्हें सही पाया गया है।

स्थान/दिनांक :

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक/संकायाध्यक्ष
के हस्ताक्षर और मुहर

* लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें।

टिप्पण– संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को घोषणा के परिदान का भार आवेदक पर होगा।